



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 519 राँची, मंगलवार 23 आषाढ़, 1937 (श०)  
14 जुलाई, 2015 (ई०)

---

नगर विकास विभाग

-----

अधिसूचना

2 जुलाई, 2015

संख्या-- 4/न.वि./विविध/136/2014-2283-- The Cantonments Act, 2006 की धारा-10 के अंतर्गत प्रत्येक कैन्टोनमेंट बोर्ड को अनुदान इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नगरपालिका संविधान की अनुच्छेद-243-P के क्लॉज़ (e) के अंतर्गत माना गया है। कैन्टोनमेंट बोर्ड को नगर निकायों की भांति राज्य सरकार द्वारा सुविधा प्रदान किया जाना भारतीय संविधान के अनुकूल है। कैन्टोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ को अन्य नगर निकायों की भांति सुविधा प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल कैन्टोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ को अन्य नगर निकायों की भांति अनुदान राशि दिये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,  
अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

-----